कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

(राजस्व भवन, नाका चन्द्रबदनी, नीडम रोड, ग्वालियर (म.प्र.), पिन कोड:- 474009)

(e-Mail : clrgwa@nic.in, mp-lrs@mp.gov.in)

क्रमांक/ 1548 /MPLRS/FDB/2025 भोपाल, दिनांक 15/10/2025

प्रति,

कलेक्टर

समस्त जिला

मध्यप्रदेश

विषय -FRA पट्टाधारियो हेतु फार्मर रजिस्ट्री पंजीयन के संबंध में।

विषयांतर्गत कृषि भूधारियों हेतु फार्मर रजिस्ट्री बनाये जाने की कार्यवाही पूर्ण की जा रही है, जिसके तहत भूलेख पोर्टल पर कृषि भूधारियों हेतु फार्मर आईडी बनाये जाने का कार्य किया जा रहा है।

पीएमकिसान योजना के भूमिस्वामी एवं FRA पट्टाधारियों को पंजीयन उपरांत योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। पीएमकिसान योजना के तहत 21वी किश्त हेतु फार्मर आईडी अनिवार्य है, इसके अभाव में हितग्राहियों को योजना का लाभ प्राप्त करने में कठिनाई होगी।

FRA पट्टाधारियो हेतु फार्मर आईडी बनाये जाने हेतु https://mpvanmitra.mkcl.org पोर्टल से इंटीग्रेशन की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। इस प्रकार https://mpvanmitra.mkcl.org पोर्टल पर उपलब्ध FRA पट्टाधारियों की जानकारी फार्मर आईडी बनाये जाने हेतु उपलब्ध होगी। अत: संलग्न प्रक्रिया अनुसार FRA पट्टाधारियो हेतु फार्मर आईडी बनाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

(हस्ताक्षर) 15/10

(अनुभा श्रीवास्तव)

आयुक्त भू-अभिलेख

मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/ 1548 /MPLRS/FDB/2025 भोपाल, दिनांक 15/10/2025

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।
3. संचालक, जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजनायें, भोपाल की ओर समस्त FRA पट्टाधारियों की जानकारी नियत पोर्टल पर अद्यतन करने हेतु।

(हस्ताक्षर) 15/10

आयुक्त भू-अभिलेख

मध्यप्रदेश

फार्मर रजिस्ट्री

मध्य प्रदेश

Agri Stack

FRA फार्मर रजिस्ट्रेशन

FRA Farmer Registration

अनुक्रमणिका

- FRA हितग्राही को रजिस्टर करने की प्रक्रिया
- महत्वपूर्ण बिन्दु

FRA कृषक लॉग इन

- वेबसाइट https://mpfr.agristack.gov.in/ के माध्यम से अथवा एप के माध्यम से
- मोबाइल नंबर डालकर **OTP** के माध्यम रजिस्टर करें, प्रथम लॉग इन पर पासवर्ड सेट करें| फिर पासवर्ड के माध्यम से भी लॉग इन कर सकेंगे ।

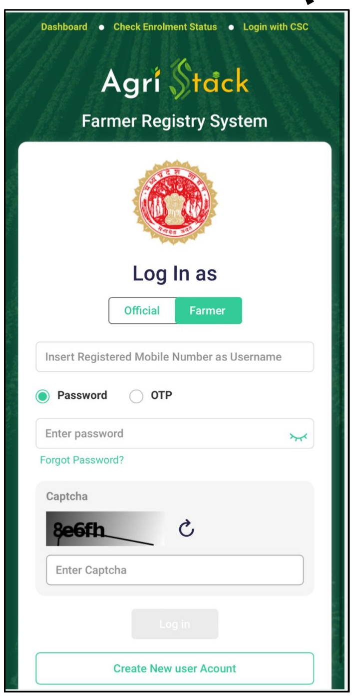

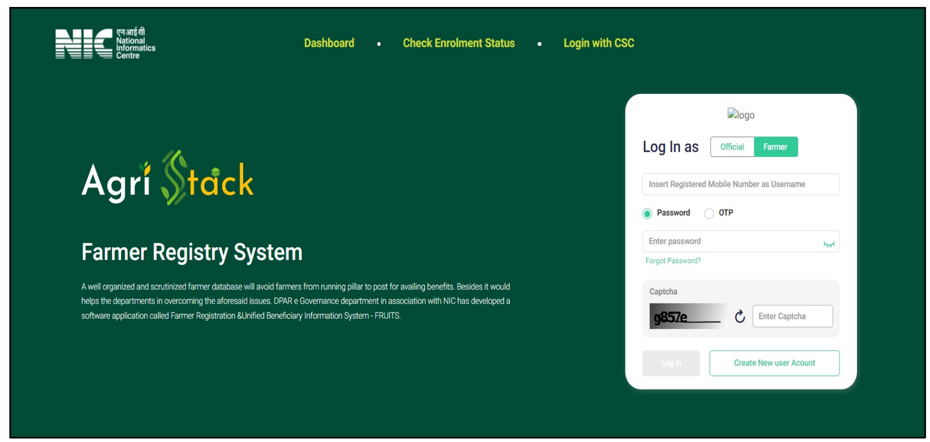

FRA हितग्राही को रजिस्टर करने की प्रक्रिया

1. लॉगइन करें।
2. आधार नम्बर व मोबाइल नंबर दर्ज कर OTP दर्ज करें।
3. “Fetch Land Details” सलेक्ट करें, “Add New Land” पर क्लिक करें।
4. जिला, तहसील, और ग्राम का चयन कर, “FRA Number” दर्ज कर “Submit” बटन क्लिक करें।
5. भूमि की जानकारी की पुष्टि करें एवं “Add land details” क्लिक कर “Verify” करें।
6. बाकी की प्रक्रिया पूर्वानुसार रहेगी।

Agri Stack

Akshat Verma

Enter PIN Code

Insert latest residential details

Farmer Registry

Home

Land Ownership Details

Farmer Type*

Select Type

- Owner
- Forest dweller
- Owner-Cum-Forest Dweller

Social Registry Details

Social Registry Linkage Type	Family Member Id	Family Member Resident Id (Akshat Verma)
Samagra ID	48942192	314789596

Department Approval

Select Department for Approval*

Farmer Consent*

I agree to share my aadhaar details (Identity Information) and other information with Government for the purpose of Authentication with UIDAI. I give consent to share my information with Agri Stack and allow it to be used by welfare schemes of various departments of government

If you want to Update any Ekyc details then click on Update

Agri Stack

Akshat Verma

Farmer Registry

Home

Land Ownership Details

Farmer Type*

Forest dweller

Occupation Details*

- [x] Forest Dwelling Farmer

Land Details - Forest Land

Fetch Land Details | Verify All Land

State	District	Sub District	Village	Survey Number	Sub Survey Number	Owner Number	Main Owner Number	Owner Name	Identifier Name	Owner Type	Owner Share Ty

Total Land Area Tenanted (in Hectare)

Number of Lands Tenanted

Total Land Area Tenanted in Hectare

Number of lands owned

Forest dweller

Fetch Land Details

State
MADHYA PRADESH

District*
DAMOH

Sub District/Taluka*
Patera

Village*
Chilghat-461942

Survey Number
NI46194200016

Sub Survey Number
*

	Survey Number	Sub Survey Number	Owner Number	Main Owner Number	Owner Name	Owner Type	Land Extent	Land Area Unit(Acre)	Identifier Type	Identifier Name
☐	NI46194200016	*	1	1	durga adivasi	Single	99342	Hectare		
☐	NI46194200016	*	2	2	durga adivasi	Single	93461	Hectare		

Close

महत्वपूर्ण बिन्दुः

- यह प्रक्रिया के लॉगिन से की जाएगी ।
- वेरीफाई एवं अप्रूवल प्रक्रिया प्रारम्भिक रजिस्ट्रेशन के सामान ही होगी, जोकि ट्राइबल विभाग के जिलाधिकारी के द्वारा की जाएगी।
- केवल https://mpvanmitra.mkcl.org/ पोर्टल पर उपलब्ध हितग्राही का डाटा ही वेरीफाई किया जा सकता है अतः FRA नंबर मिलान ना होने पर कृपया विभाग से संपर्क करें।

धन्यवाद